

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103001082016

दांडिक प्रकरण क.-175 / 16

संस्थापित दिनांक-10.06.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-मेहरवानसिह पुत्र नारायणसिह लोधी आयु 45 वर्ष 02-रामवीर पुत्र मेहरवान सिह लोधी आयु 20 वर्ष 03-अंगूरीबाई पत्नी मेहरवानसिह लोधी आयु 40 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहनपुर थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री नरेश जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294,323,324,336,506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294,323/34 तीन शीर्ष एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजू लोधी ने दिनांक 06.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.06.16 को समय 17:30 बजे फरियादी के घर के पास मोहनपुर चंदेरी में आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई तथा मना करने पर ईट से मारपीट की एवं दांतों से काट लिया गया और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 259/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 294,323,324,336,506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294,323/34 तीन शीर्ष, 324/34 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 06.06.16 को समय शाम 05:30 बजे ग्राम मोहनपुर स्थित फरियादी के घर के पास थाना चंदेरी में फरियादी

राजू लोधी को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एम एल खरका, अ. सा.2 राजू लोधी, अ.सा.3 बिमलाबाई, अ.सा.4 प्राणसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 02 राजू लोधी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था जिसमें धक्का-मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के संबंध में प्र0पी04 की रिपोर्ट उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी रामवीर ने उसे दाहिने कान में दांतों से काट लिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि इस संबंध में प्र0पी04 में बी से बी भाग लिखाया था तथा उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.3 एवं अ.सा.4 ने भी अपने कथन में बताया है कि उनका घटना दिनांक को आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिसमें धक्का-मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी रामवीर ने राजू को दांतों से काट लिया था।

09— अ.सा.1 डॉ एम एल खरका ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 06.06.16 को आहत प्राणसिंह, विमलाबाई एवं राजू का मेडिकल परीक्षण किया गया था। उक्त साक्षी ने उक्त तीनों आहतगण के मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि किसी को दांत काटने से चोट आई थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष

दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी रामवीर ने दांतों से काटा था।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)